



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122024-259440
CG-DL-E-16122024-259440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/अग्रहायण 25, 1946

No. 707]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946

नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 769(अ).— वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के साथ पठित धारा 4, धारा 5, धारा 10 की उपधारा (2), धारा 10-क, धारा 10-ख, धारा 12, धारा 12-क, धारा 12-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (I) इन नियमों को वायुयान (सुरक्षा) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2023, (जिसे इसके पश्चात् प्रधान नियम कहा जाएगा) में नियम 29 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“29क. विमान में प्रवेश का आरक्षित अधिकार- नियम 29 में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, महानिदेशक, यदि वह संतुष्ट हैं कि सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो लिखित रूप में ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं, -

- (क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान में प्रवेश देने से कर सकता है; अथवा
(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से हवाईअड्डे को छोड़ने की अपेक्षा कर सकता है।”

3. उक्त नियमों में, नियम 30 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“30क झूठी सूचना संप्रेषित करने का प्रतिषेध- कोई भी व्यक्ति झूठी सूचना नहीं देगा, जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो - (क) किसी विमान, हवाईअड्डे या नागर विमानन सुविधा या दोनों की संरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डाले;
(ख) यात्रियों, चालक दल और ग्राउंड कर्मियों या आम जनता में डर फैलाए; या
(ग) नागर विमानन परिचालन को बाधित करे।”

4. उक्त नियमों में, द्वितीय अनुसूची की सारणी-II में, मद 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“17क.	विमान में प्रवेश के आरक्षित अधिकार के संबंध में नियम 29क का उल्लंघन	नियम 29क	स्तर-6
17ख.	झूठी सूचना संप्रेषित करने के निषेध के संबंध में नियम 30क का उल्लंघन	नियम 30क	स्तर -6”.

[एफ. सं-एवी- 13024/11/2022]

प्रमोद कुमार ठाकुर, उप महानिदेशक

नोट: प्रधान नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 596 (अ), दिनांक 9 अगस्त 2023 के तहत प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2024

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by section 4, 5 sub-section (2) of section 10, 10-A, 10-B, 12, 12-A, 12-B and read with section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Aircraft (Security) Rules, 2023, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Aircraft (Security) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Security) Rules, 2023, (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 29, the following rule shall be inserted, namely: -

“**29A. Reserved right of admission in aircraft.**— Irrespective of anything contained in rule 29, the Director General may, if he is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of security, issue such directions in writing to,-

- (a) refuse admission to any person or group of persons in the aircraft; or
(b) require any person or group of persons to leave the aircraft.”.

3. In the said rules, after rule 30, the following rule shall be inserted, namely: -

“30A. Prohibition to communicate false information.- No person shall communicate false information so as to,-

- (a) jeopardize the safety and security of an aircraft, aerodrome or civil aviation facility or both;
- (b) cause panic among passengers, crew and ground personnel or the general public; or
- (c) disrupt the civil aviation operation.”.

4. In the said rules, in Table II of the Second Schedule, after item 17 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

“17 A.	Contravention of rule 29A in respect of reserved right of admission in aircraft	rule 29A	Level-6
17 B.	Contravention of rule 30A in respect of prohibition to communicate false information	rule 30A	Level-6”.

[F. No-AV- 13024/11/2022]

PRAMOD KUMAR THAKUR, Dy. Dir. General

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) *vide* number G.S.R 596 (E), dated the 9th August 2023.